

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, मानसरोवर, जयपुर



क्रमांक : DHC-J/C-II/JPR/2024-25/ 881

दिनांक : 27/01/25


बिड सूचना संख्या - 06/2024-25

राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से आवासीय अभियन्ता खण्ड षष्ठम् जयपुर एवं अजमेर के अधीन आवासीय योजना में निम्नलिखित कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बिड क्रम संख्या 1 से 02 के लिए ई-प्रोक पोर्टल पर ऑनलाईन बिड आवासन मण्डल में पंजीकृत समुचित श्रेणी एवं अन्य विभागों में "एए" एवं 'ए' श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से आमन्त्रित की जाती है। ई-प्रोक पोर्टल पर ऑनलाईन बिड हेतु प्रपत्र, ड्राफ्ट एवं प्रोफार्मा A, B, C & D दिनांक 30.01.2025 से 08.02.2025 को सांय 06.00 बजे तक अपलोड/डाऊनलोड की जानी है। बिड शुल्क मय जी.एस.टी.एवं अमानत राशि का ड्राफ्ट उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल मानसरोवर, जयपुर के पक्ष में देय होगा एवं आनलाईन शुल्क राशि रूपये 1500/- का ड्राफ्ट जो कि MD RISL JAIPUR जयपुर के पक्ष बनवाकर, मूल प्रपत्रों के साथ मूल ही कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, रा0 आ0 म0, मानसरोवर, जयपुर में दिनांक 10.02.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा। बिड उसी दिवस को सांय 04.00 बजे ई-प्रोक पोर्टल से खोली (डाऊनलोड की) जावेगी। अमानत राशि 0.50 प्रतिशत आवासन मण्डल में पंजीकृत संवेदकोएवं अन्य विभागों में समुचित श्रेणी में पंजीकृत संवेदको को 2 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराना होगा। उपरोक्त कार्य दिवसो पर सार्वजनिक अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर बिड प्राप्त कर खोली जायेगी।

क्रं सं.	कार्य का नाम	यू. बी. एन. नम्बर	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	बिड शुल्क (रूपये)	कार्य की अवधि	संबंधित खण्ड
1	Rematling and Carpeting of 'road work at Commercial Plot B at V.T. Road, Phase A&B, Mansarovar, Jaipur		75.75 लाख	2000+ 18% GST	06 माह	खण्ड षष्ठम्
2	Construction of B.T. & C.C. Roads & Repair of Parks at RHB Scheme, Naka Madar Ajmer.		65.25 लाख	2000+ 18% GST	09 माह	खण्ड अजमेर


नोट :-

- प्राप्त बिड बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।
- राजस्थान आवासन मण्डल में भविष्यनिधि/जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा, सशर्त बिड स्वीकार नहीं होगी।
- बिड शुल्क/प्रक्रिया शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर नियमानुसार GST अतिरिक्त देय होगा।


उप आवासन आयुक्त,
वृत्त-द्वितीय, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/वित्तीय सलाहकार, रा0 आ0 म0, जयपुर।
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-षष्ठम् जयपुर एवं अजमेर,।
- संयुक्त निदेशक (सिस्टम), रा0 आ0 म0, जयपुर को मण्डल की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- रक्षित पत्रावली/कार्यालय प्रति।


उप आवासन आयुक्त,
वृत्त-द्वितीय, जयपुर